

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर

डेयरी प्लांट, चांदा तलावली – 453771

E-mail : ceo.ids@sanchidairy.com, marketing.ids@sanchidairy.com,
sales.ids@sanchidairy.com

अल्पकालीन ई-निविदा सूचना

साँची आईसक्रीम परिवहनकर्ता कार्य हेतु ई-निविदा आमंत्रित की जाती है।

इन्दौर, भोपाल, उज्जैन, सागर, जबलपुर, ग्वालियर, धार, खंडवा, महु, रतलाम एवं देवास शहरों में इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर द्वारा निर्मित साँची आईसक्रीम परिवहनकर्ता कार्य हेतु ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। प्रतिभागी (इच्छुक एवं सक्षम) निविदाकार इस कार्य के नियम एवं शर्तों एवं स्थानों की विस्तृत जानकारी एमपीसीडीएफ भोपाल की वेबसाइट www.sanchidairy.com से प्राप्त कर सकते हैं। परिवहनकर्ता नियुक्ति कार्यवाही का विवरण इस प्रकार है।

स.क्रं.	विवरण	कार्यवाही विवरण
1.	ऑनलाईन निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की तिथि एवं समय	दिनांक 09.04.2026 को www.mpetender.gov.in से, समय 12:00 बजे से निरंतर
2.	ऑनलाईन निविदा प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक 15.04.2026 को अपरान्ह 2:00 बजे तक www.mpetender.gov.in में
3.	ऑनलाईन निविदा प्रपत्र के तकनीकी अर्हता खोलने की तिथि एवं समय	दिनांक 16.04.2026 को अपरान्ह 12 बजे से
4.	ईएमडी राशि	ईएमडी राशि रू. 10,000 / – (अक्षरी राशि रू. दस हजार मात्र)

उपरोक्त विवरण के अनुसार पहले प्रतिभागी निविदाकार को उपरोक्त दर्शित वेबसाइट से निविदा पत्र ऑनलाइन डाउनलोड कर प्राप्त करना होगा फिर निविदा प्रपत्र में आइसक्रीम परिवहनकर्ता के कार्य संबंधी वर्णित सभी तकनीकी अर्हताएं एवं शर्तें विस्तृत रूप से पढ़कर समझ ले एवं इसी के अनुरूप निविदा प्रपत्र भरकर वांछित दस्तावेजों को संलग्न कर ऑनलाइन निर्धारित तिथि एवं समय पर जमा करें। प्राप्त निविदा प्रपत्र में पहले तकनीकी अर्हताओं का परीक्षण किया जाएगा एवं इसके पश्चात् परिवहनकर्ता नियुक्ति की कार्यवाही की जाएगी।

यदि निविदा में कोई सुधार/संशोधन किया जाता है तो यह केवल उपर दी गई एमपीसीडीएफ, भोपाल की वेबसाइट www.sanchidairy.com पर एवं www.mptenders.gov.in प्रकाशित होगा। कोई अन्य माध्यम से प्रकाशित/सूचित नहीं किया जाएगा।

नोट :- अधिक जानकारी हेतु 9039012029 एवं 9425303806 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्या.
इन्दौर ।

महोदय,

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ द्वारा निर्मित साँची आइसक्रीम परिवहनकर्ता कार्य हेतु ई-निविदा के संदर्भ में निवेदन करता हूँ कि मेरे द्वारा निविदा प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्तें एवं निर्देश पढ़ कर समझ लिए गए हैं। यदि इन्दौर दुग्ध संघ द्वारा मुझे कार्य आवंटित किया जाता है तो मैं इन्दौर दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार कार्य करने हेतु सहमत हूँ ।

स.क्र.	आवश्यक अर्हताएँ	विवरण	अनिवार्य दस्तावेज
1	निविदाकार का नाम (फर्म/कम्पनी/पार्टनरशिप/एकल स्वामित्व/ज्वाइंट वेंचर/कंसोर्टियम)		निविदाकार का नाम अंकित करें।
1.1	एकल स्वामित्व/भागीदारी/कंपनी की ओर से निविदा भरने हेतु विधिक रूप से अधिकृत हो।		एकल स्वामित्व/भागीदारी /कंपनी/ ज्वाइंट वेंचर/कंसोर्टियम की ओर से निविदा में हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का अधिकार पत्र/मुख्तारनामा की मूल प्रति जो नोटरी द्वारा सत्यापित व प्रमाणित हो। स्वामी/प्रोपाईटर द्वारा स्वयं निविदा भरने की स्थिति में आवश्यक नहीं है ।
1.2	निविदाकार एकल स्वामित्व/भागीदारी /कंपनी/ ज्वाइंट वेंचर/कंसोर्टियम का पेन कार्ड नंबर होना अनिवार्य है।		पेन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करें।
1.3	निविदाकार एकल स्वामित्व/भागीदारी /कंपनी/ज्वाइंट वेंचर/कंसोर्टियम का वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 का आयकर रिटर्न		तदाशय के विगत दो वित्तीय वर्ष के आयकर रिटर्न की प्रति संलग्न करें।
1.4	निविदाकार एकल स्वामित्व/भागीदारी/कंपनी/ ज्वाइंट वेंचर/कंसोर्टियम निविदा प्रपत्र के प्रपत्र क्र.01,02 एवं 03 संलग्न करें।		निविदाकार (एकल स्वामित्व/भागीदारी/कंपनी/ ज्वाइंट वेंचर/कंसोर्टियम निविदा प्रपत्र के प्रपत्र क्र.01,02 एवं 03 संलग्न करें।
1.5	निविदाकार (एकल स्वामित्व/भागीदारी /कंपनी/ज्वाइंट वेंचर/कंसोर्टियम को किसी भी शासकीय/अशासकीय संस्था से कभी भी ब्लैक लिस्टेड न किया गया हो तथा पुलिस थाने/मा.न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है।		तदाशय का वचन पत्र पर प्रस्तुत करें। निविदा प्रपत्र के प्रपत्र 04 में प्रारूप अवलोकन हेतु संलग्न है।
1.6	निविदाकार एकल स्वामित्व/भागीदारी /कंपनी/ज्वाइंट वेंचर/कंसोर्टिय के पास जीवित वैध एफ.एस.एस.ए.आई. लायसेंस/पंजीयन की प्रति संलग्न करें।		तदाशय के जीवित वैध लायसेंस की छायाप्रति अनिवार्यतः संलग्न करें।
1.7	निविदाकार एकल स्वामित्व/भागीदारी /कंपनी/ ज्वाइंट वेंचर/कंसोर्टियम ऑनलाइन ई.एम.डी. राशि जमा करें।		ई.एम.डी राशि रु. 10,000/- (अक्षरी रूपये दस हजार रूपये) की पावती निविदा के साथ ऑनलाइन संलग्न करें।
1.8	निविदाकार (फर्म/कम्पनी/एकल स्वामित्व/पार्टनरशिप फर्म) जीएसटी नं.		जीएसटी नं. की छायाप्रति संलग्न करें।

1.09	केवल म.प्र. राज्य स्थित एमएसएमई उद्यमीयों को ईएमडी राशि में छूट दी जाएगी।		तदाशय के एमएसएमई पंजीयन की छायाप्रति संलग्न करें।
1.10	निविदाकार कल स्वामित्व/भागीदारी /कंपनी/ ज्वाइंट वेंचर/कंसोर्टियम के पास रेफ्रिजरेटेड वाहन होना चाहिए।		निविदाकार के पास वाहन मॉडल वर्ष 2024 का हो एवं उसी वर्ष का पंजीकृत हो अथवा उसके बाद के वर्षों के मॉडल एवं पंजीकृत हो। तदाशय के वाहन मॉडल के पंजीयन की प्रति संलग्न करें अथवा नया वाहन लगाए जाने की स्थिति में वचन पत्र संलग्न करें। वचन पत्र का प्रारूप , निविदा पत्र के प्रपत्र क्र. 05 पर संलग्न है।
1.11	निविदाकार के पास आइसक्रीम रेफ्रिजरेटेड वाहन की बॉडी (Container) का FSSAI लायसेंस/पंजीयन होना चाहिए।		तदाशय के पंजीयन की प्रति संलग्न करें अथवा नए वाहन क्रय करने की स्थिति में कार्य आदेश के समय तदाशय के पंजीयन की प्रति संलग्न करें।

- नोट :- (1) उक्त समस्त दस्तावेजों की स्वप्रमाणित ऑनलाइन छायाप्रतियाँ संलग्न करना अनिवार्य है।
(2) उपरोक्त जानकारियों में से कोई भी जानकारी असत्य पाये जाने पर निविदा निरस्त कर अमानत राशि राजसात की जा सकेगी ।

हस्ताक्षर _____

नाम : _____

पता :- _____

मोबाईल नं. _____

ई-निविदा की निविदा प्रक्रिया, नियम व शर्त :-

1. इंदौर, भोपाल, उज्जैन, सागर, जबलपुर, ग्वालियर, धार, खंडवा, महु, रतलाम एवं देवास शहरों में साँची आइसक्रीम के परिवहनकर्ता कार्य हेतु ई-निविदा आमंत्रित की गई है।
2. प्रतिभागी निविदाकार के पास आइसक्रीम के वितरण हेतु स्वयं के नाम से न्यूनतम 01 रेफ्रिजरेटेड वाहन जिसकी क्षमता 80 क्रेट हो, का होना अनिवार्य है।

अथवा

2.1 सफल निविदाकार को नए वाहन लगाए जाने की स्थिति में कार्य आदेश जारी करने के उपरांत वाहन लगाना अनिवार्य होगा। आइसक्रीम के उचित प्रशीतन हेतु उत्कृष्ट गुणात्मक स्तर को बनाए रखने के लिए आइसक्रीम वाहन के रेफ्रिजरेशन का निम्नानुसार स्पेसिफिकेशन का होना अनिवार्य है।

Description	Technical Particular
Applications	A refrigerated vehicle comprises of an insulated container body and a refrigeration unit to give the temperature inside for the Icecream transportation.
Temperature	-16 to -25°C
Structure	The Body comprises of outer and inner panels should be of CR sheet/ stainless steel. The insulated material should be Poly Urethane Foam (PUF) having minimum density of 30 Lg/cub. Meter and minimum 100 mm thick. Load bearing column should be of HR steel as per IS 1079 having pressed formed sections. Proper lightening should be provided inside the cabin and thermal insulated container. No flurescent tube should used for lightening purpose.
Outer panel – roof and side walls	Minimum 1 mm CR sheets bonded with insulation
Inner Panel – side wall and ceiling	Minimum 0.3 mm stainless steel bonded with minimum 6mm marine grade ply wood. All joints should be sealed with a good quality sealants and fastened with SS screws.
Floor	Bottom most sheet should be minimum 0.6 mm GP sheets bonded with insulation. Upper layer should be of 12 mm (minimum) ply wood and top most layer of minimum 2 mm aluminium checkerd plate.
Door	Two leaves with outer and inner panels and insulation matching with box. It should be completely air sealed with FRP section and suitable EPDM rubber profile.
Door opening angle	Minimum 270°
Foam Density	Minimum PUF 30 Kg/m ³
Thickness of insulation	Minimum 100 mm for side wall and 120 mm for roof and floor
Insulation thermal conductivity	Maximum 0.02 5w/m ⁰ K
Hold Over Time	The container should hold the inside temperature at least for four hrs at the ambient temperature of 43°C when it is not opened
Unit installation	The refrigeration unit is installed on the body above the cabin of the vehicle and gives a range of temperatures. The unit should be powered by self propelled truck engine. It should have suitable sized compressor, evaporater and control switches along with voltage stabilizer.
Temperature	The Temperature variation is from - 16 deg Celsius to -25 deg Celsius
Temperature Recording	The temperature is digitally displayed and recorded by the us of data logger with an accuracy of +/-0.5°C. The sensor should be placed inside the chamber and the recording should be displayed in the cabin.
Stand motor	A single phase stand by motor with a extension lead of 20 meters should be provided which should be powered by external electricity source; this electric motor will drive the compressor to maintain internal temperature at the desired level during extended stops and for pre-cooling the chamber.

3. यदि निविदा में निविदाकारों के समान दरे प्राप्त होती है तो ऐसी स्थिति में चयन लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा।
4. सफल निविदाकार को उसकी नियुक्ति के पश्चात् निम्नलिखित कार्यवाही कार्य आदेश जारी होने के समय पूरी करना अनिवार्य होगा।
 - (4.1) सफल निविदाकार को बतौर सुरक्षा निधि राशि रु. 50000/- (रु. पचास हजार) ऑन लाइन आटीजीएस के माध्यम से इंदौर सहकारी दुग्ध संघ के खाते में जमा करना अनिवार्य होगा।
 - (4.2) ऐसे निविदाकार जिनके द्वारा एम.एस.एम.ई पंजीयन संलग्न नहीं करते हुए ऑनलाइन ईएमडी राशि ई-निविदा के साथ जमा की गई है एवं नियमों के तहत उनका चयन किया जाता है तो उन्हें प्रतिभूति राशि रु. 40000/- आर.टी.जी.एस के द्वारा इंदौर दुग्ध संघ में जमा करना होगा। ईएमडी राशि रु. 10000/- का समायोजन प्रतिभूति राशि में किया जा जाएगा। इस प्रकार कुल रु. 50,000/- राशि दुग्ध संघ में जमा रहेगी। इंदौर दुग्ध संघ में जमा नगद प्रतिभूति राशि में कोई भी ब्याज देय नहीं होगा।
 - (4.3) ऐसे निविदाकार जिनके द्वारा निविदा के साथ एम.एस.एम.ई. पंजीयन संलग्न कर ई.एम.डी राशि में छूट का लाभ लिया गया है। यदि निविदा के नियमों के तहत उनका चयन किया जाता है तो उन्हें प्रतिभूति राशि रु. 50000/- आर.टी.जी.एस के द्वारा इंदौर दुग्ध संघ में जमा करना होगा इंदौर दुग्ध संघ में जमा नगद प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
 - (4.3) सफल निविदाकार को रु. 1000/- के नोटराईज्ड स्टाम्प पर अनुबंध पत्र कार्य आदेश जारी होने के समय प्रस्तुत करना होगा। अनुबंध पत्र का प्रारूप प्रपत्र क्रमांक 07 अवलोकन हेतु संलग्न है, जिसे केवल सफल निविदाकार को उसकी नियुक्ति के पश्चात् प्रस्तुत करना होगा।
 - (4.4) सफल निविदाकार को निविदा में चाहे गए मापदंड के अनुसार आइसक्रीम वाहन का रेफ्रिजरेशन निर्माणकर आइसक्रीम के वितरण कार्य पर लगाना होगा। नए वाहन होने पर यदि कार्य आदेश जारी होने के समय आइसक्रीम वाहन के रेफ्रिजरेशन के निर्माण में विलंब होता है तो ऐसी स्थिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इंदौर दुग्ध संघ का निर्णय सर्वोपरी होगा। सफल निविदाकार को कार्य आदेश जारी एवं अनुबंध का निष्पादन उसके द्वारा नए आइसक्रीम रेफ्रिजरेटेड वाहन लगाए जाने के पश्चात् किया जाएगा।
 - (4.5) यदि सफल निविदाकार के द्वारा आइसक्रीम के वितरण हेतु रेफ्रिजरेटेड वाहन (वाहन के पंजीयन) निविदा में चाहे गए मापदंड के अनुसार निविदा की तकनीकी बिड के साथ प्रस्तुत किया गया है तो सफल निविदाकार को कार्य आदेश जारी होने तथा अनुबंध निष्पादित होने के पश्चात् इंदौर दुग्ध संघ प्रबंधन के मार्गदर्शन में आइसक्रीम का वितरण कार्य अविलंब प्रारंभ करना होगा अन्यथा ऐसा नहीं होने अथवा किसी भी कारण से विलंब करने/कार्य प्रारंभ नहीं करने की स्थिति में सफल निविदाकार को प्रथम दृष्टया रु. 5000/- का अर्थदंड अधिरोपित किया जाएगा तत्पश्चात् मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इंदौर दुग्ध संघ का निर्णय सर्वोपरी होगा।
5. सफल निविदाकार को इंदौर, भोपाल, उज्जैन, सागर, जबलपुर, ग्वालियर, धार, खंडवा, महू, रतलाम एवं देवास शहरों में आइसक्रीम की प्रदायगी आइसक्रीम वितरकों की मांग के अनुसार करनी होगी। जिसके अंतर्गत आइसक्रीम परिवहनकर्ता को मुख्य संयंत्र इंदौर से आइसक्रीम उठाकर आइसक्रीम वितरकों के वितरण स्थल (फोकल प्वाइंट) पर पहुंचाकर देना होगा। दुग्ध संघ द्वारा चिन्हित किए गए शहरों में परिवहनकर्ता को प्रतिमाह आइसक्रीम की मात्रा के अनुसार न्यूनतम 5000 कि.मी. माह मार्च से माह जून तक परिवहन करेगा। इस अवधि में यदि माह में निर्धारित 5000 कि.मी. से अधिक कि.मी. सफल निविदाकार के द्वारा परिवहन किया जाता है तो उसे निविदा की स्वीकृत दर पर जितना अधिक कि.मी. का परिवहन किया गया है, का भुगतान दुग्ध संघ द्वारा परिवहन देयक एवं जीपीएस रूट वेरिफिकेशन दस्तावेजों के सत्यापन के पश्चात् किया जाएगा।
6. निविदा पत्र के प्रपत्र क्र. 08 पर आइसक्रीम के परिवहन हेतु विस्तृत जानकारी टाउनवाइस संलग्न है। इच्छुक प्रतिभागी निविदाकार उक्त प्रपत्र का अवलोकन कर समस्त कर व्यय यथा टोल टैक्स सहित अपनी लाभात्मकता सुनिश्चित करते हुए ऑनलाइन दरें प्रस्तुत कर सकते हैं।
7. माह जुलाई से फरवरी तक कुल 3500 कि.मी. प्रतिमाह का निर्धारण किया गया है। इस अवधि में यदि निर्धारित 3500 कि.मी. से अधिक कि.मी. का सफल निविदाकार के द्वारा परिवहन किया जाता

है तो उसे निविदा की स्वीकृत दर पर सफल निविदाकार के द्वारा जितना अधिक कि.मी. परिवहन किया गया है, का भुगतान दुग्ध संघ द्वारा परिवहन देयक एवं जीपीएस रूट वेरिफिकेशन दस्तावेजों के सत्यापन के पश्चात् किया जाएगा।

8. आइसक्रीम की गुणवत्ता बनाए रखने के दृष्टिगत अनुबंध अवधि में आइसक्रीम वाहन के रिफ्रिजरेशन की शीतलन क्षमता का निरीक्षण आइसक्रीम रिफ्रिजरेटेड वाहन निर्माणकर्ता के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।
9. निविदा प्रपत्र के साथ निविदाकार द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी किसी भी समय असत्य पाये जाने पर जमा ई.एम.डी. राशि राजसात करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा, साथ ही ऐसी निविदा निरस्त समझी जावेगी एवं इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर को होने वाले समस्त वित्तीय हानि की प्रतिपूर्ति दोषी प्रतिभागी/निविदाकार से वसूली योग्य होगा।
10. सफल निविदाकार की अनुबंध अवधि तीन वर्ष हेतु प्रभावशील रहेगी। उक्त अवधि पूर्ण होने पर आइसक्रीम परिवहनकर्ता की ओर से निवेदन एवं सहमति प्राप्त होने एवं उसका कार्य संतोषप्रद पाए जाने की दशा में एक-एक वर्ष कर अधिकतम कुल 02 वर्ष हेतु अनुबंध अवधि में वृद्धि आपसी सहमति से की जा सकेगी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ, दुग्ध संघ के हितों में संवर्धन हेतु परिवहनकर्ता की सहमति से मूल अनुबंध में नवीन शर्तों का भी समावेश कर सकते हैं।
11. केवल मध्य प्रदेश राज्य के MSME उद्यमियों के लिए ईएमडी राशि में छूट रहेगी। परंतु MSME उद्यमियों को ऑन लाईन MSME के रजिस्ट्रेशन की प्रति संलन करना अनिवार्य होगा। बिना रजिस्ट्रेशन के निविदा अमान्य किया जाएगा।
12. किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता/इंदौर दुग्ध संघ विरोधी गतिविधियों/इंदौर दुग्ध संघ की नीतियों के विरुद्ध कार्य करते पाये जाने पर इंदौर दुग्ध संघ परिवहनकर्ता की निविदा निरस्त कर दी जावेगी एवं अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी।
13. परिवहनकर्ता का यह दायित्व होगा कि वह आइसक्रीम का वितरण समय पर करें। आइसक्रीम के वितरण में विलंब होने एवं किसी भी प्रकार की टूट -फूट होने पर वितरक को होने वाली आर्थिक हानि की जिम्मेदारी सफल निविदाकार की होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति सफल निविदाकार के परिवहन देयकों से की जाएगी।
14. समस्त टैक्स जमा करने की जिम्मेदारी सफल निविदाकार की होगी। साथ ही आइसक्रीम परिवहनकर्ता को म.प्र. शासन/भारत सरकार द्वारा समय-समय पर लागू किये गये अन्य टैक्स भी जमा कराना अनिवार्य होगा।
15. सफल निविदाकार को अपने अनुबंधित वाहन में अन्य प्रतिस्पर्धी ब्रांड का परिवहन करना कार्य करना पूर्णतः निषेधित होगा। यदि अनुबंध अवधि ऐसा पाया जाता है तो प्रथम दृष्टतया रु. 10000/- का अर्थदंड अधिरोपित किया जाएगा। पुनरावृत्ति पाए जाने पर कार्य समाप्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
16. अनुबंध अवधि में इन्दौर दुग्ध संघ द्वारा पत्र/परिपत्र के माध्यम से समय-समय पर जो भी निर्देश जारी किये जाएंगे उनका पालन करना आइसक्रीम वितरक को अनिवार्य होगा एवं इन परिपत्रों/पत्रों को अनुबंध का भाग माना जाएगा।
17. एक अथवा समस्त निविदाओं को सकारण निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इंदौर दुग्ध संघ के पास सुरक्षित रहेगा।
18. आइसक्रीम वाहन में जीपीएस सिस्टम इन्दौर दुग्ध संघ के माध्यम से लगवाया जायेगा, जिसका लागत व्यय सफल निविदाकार को तत्काल दुग्ध संघ में जमा करना अनिवार्य होगा।
19. कार्य आदेश जारी करने के पूर्व आइसक्रीम वाहन पर विनाइल प्लेक्स साँची विज्ञापन डिस्प्ले हेतु लगाए जाएंगे। जिसकी प्रिंटिंग खराब हो जाने पर तत्काल नया प्लेक्स लगाने की जिम्मेदारी सफल निविदाकार की होगी अन्यथा परिवहनकर्ता कार्य बंद किए जाने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इंदौर सहकारी दुग्ध संघ के पास सुरक्षित होगा।
20. इन्दौर दुग्ध संघ द्वारा आइसक्रीम की प्रदायगी के उपरांत सम्पूर्ण जवाबदारी सफल निविदाकार की होगी। अतः सफल निविदाकार आइसक्रीम लेने के पूर्व आइसक्रीम की पूर्ण संतुष्टि के साथ जांच कर लेंगे। वितरक तक गुणवत्ता युक्त सामग्री पहुँचाने की सम्पूर्ण जवाबदारी सफल निविदाकार की होगी।

21. सफल निविदाकार अपना आवंटित कार्य किसी अन्य व्यक्ति/पार्टी को हस्तांतरित नहीं करेगा। ऐसा करते पाये जाने पर तत्काल प्रभाव से अनुबंध निरस्त कर कार्य से पृथक कर दिया जायेगा।
22. अनुबंध अवधि में सफल निविदाकार को प्रोपेराइटर में परिवर्तन करने का अधिकार नहीं होगा। यदि सफल निविदाकार अपरिहार्य कारणों से प्रोपेराइटर बदलना चाहता है तो उसे सर्वप्रथम दुग्ध संघ प्रबंधन से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अन्यथा ऐसा करते नहीं पाए जाने की स्थिति में सफल निविदाकार की निविदा बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर, तथा उसे ब्लेक लिस्ट कर उसकी इंदौर दुग्ध संघ में जमा प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जाएगी। साथ ही वैकल्पिक व्यवस्था के तहत अन्य ठेकेदार से आइसक्रीम का परिवहन का कार्य कराने हेतु इंदौर दुग्ध संघ स्वतंत्र होगा।
23. सफल निविदाकार किसी भी समय आवश्यकता पड़ने पर व आव्हान करने पर इन्दौर दुग्ध संघ को अपना स्टॉक, रिकार्ड से संबंधित व्यवस्थाओं की जाँच कराएगा। जरूरत पड़ने पर आइसक्रीम मार्केट से रिकाल करने में सफल निविदाकार परिस्थितियों के अनुरूप इन्दौर दुग्ध संघ के निर्देशानुसार सभी आवश्यक कदम उठायेगा।
24. आइसक्रीम की प्रदायगी के पश्चात् किसी भी स्तर पर आइसक्रीम की प्रक्रिया, मिश्रण आदि में फेरबदल किया जाता है तो इन्दौर दुग्ध संघ की कोई जवाबदारी नहीं होगी।
25. यदि पक्षकारों (इंदौर दुग्ध संघ एवं सफल निविदाकार) के बीच इस कार्य के विषय में कोई विवाद उत्पन्न हुआ तो, प्रबंध संचालक, एमपीसीडीएफ को प्रकरण निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जा सकेगा। निराकरण नहीं होने की स्थिति में आरबीट्रेशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
26. इंदौर दुग्ध संघ द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों की निरंतर अवहेलना किए जाने पर सफल निविदाकार के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी जो कि सफल निविदाकार पर बंधनकारी होगा।
27. किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायालयीन क्षेत्र इंदौर रहेगा।
28. आइसक्रीम वितरण हेतु निविदा संबंधी विस्तृत जानकारी प्रतिभागी निविदाकार ई-निविदा सूचना प्रकाशन की तिथि से निविदा खुलने के 02 दिवस पूर्व तक किसी भी कार्यालयीन दिवस में दुग्ध संघ के विपणन कार्यालय से प्राप्त कर अपनी निविदा प्रस्तुत कर प्राप्त कर सकते हैं।
29. निविदा खोले जाने के उपरांत किसी भी स्थिति में निविदाकारों के अन्य कारण स्वीकार नहीं होंगे।
30. निविदा प्राप्ति की तिथि व समय में अवकाश घोषित होने पर भी परिवर्तन नहीं होगा यदि निविदा की तकनीकी बिड खोलने के लिए निर्धारित तारीख को अवकाश घोषित किया जाता है, तो ई-निविदा संबंधित दिवस के अगले कार्य दिवस पर पूर्व निर्धारित समय पर खोली जावेगी।
31. सफल निविदाकार को इन्दौर दुग्ध संघ द्वारा आइसक्रीम वितरण हेतु निविदा की स्वीकृत दर पर परिवहन दर का भुगतान किया जाएगा। जिसे प्रतिमाह के प्रथम सप्ताह में सफल निविदाकार को भुगतान हेतु परिवहन देयक इन्दौर दुग्ध संघ में प्रस्तुत करना होगा। देयक विलंब से प्रस्तुत किए जाने पर यदि भुगतान देरी से प्राप्त होता है तो इसकी संपूर्ण जवाबदेही सफल निविदाकार की होगी।
32. सफल निविदाकार जितनी मात्रा में आइसक्रीम की क्रेटस् मांगानुसार मुख्य डेयरी संयंत्र से लेकर जायेंगे उतनी ही मात्रा में क्रेटस् उसे वापस इंदौर संयंत्र में जमा करनी होगी अन्यथा ऐसा नहीं करते पाए जाने की स्थिति में जितनी क्रेटस् कम जमा की जाएगी समानुपातिक रूप से मे जमा किए गए क्रेटस् का कटौती सफल निविदाकार के देयकों से किया जायेगा। जो कि सफल निविदाकार पर बंधनकारी होगा।
33. सफल निविदाकार अनुबंधित वाहन को मुख्य संयंत्र इंदौर में 20 कि.मी. प्रतिघंटे की रफ्तार से अधिक नहीं चलायेंगे। यदि ऐसा पाया जाता है तो दुग्ध संघ में होने वाली किसी भी प्रकार की संभावित घटना की जिम्मेदारी परिवहनकर्ता की होगी।
34. अनुबंधित अवधि में डीजल दरों में जो भी कमी/वृद्धि होगी उसके अनुसार सफल निविदाकार की स्वीकृत परिवहन दरों में वृद्धि/कमी समानुपातिक दर से की जाकर भुगतान/वसूल करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी इंदौर दुग्ध संघ को होगा। जिसकी गणना मार्ग की दूरी जो कि निविदा में वर्णित है औसतन कि.मी. के आधार पर की जाएगी।
35. सफल निविदाकार को इंदौर, भोपाल, उज्जैन,सागर, जबलपुर, ग्वालियर, धार, खंडवा, महू, रतलाम एवं देवास शहरों के वितरकों की मांग के अनुसार शेडयूल बनाया जाएगा तथा निर्धारित

शेडयूल के अनुसार सफल निविदाकार को आइसक्रीम की प्रदायगी संबंधित शहरों के वितरकों को करनी होगी।

36. प्रतिभागी निविदाकार को परिवहन दरें केवल और केवल ऑनलाइन माध्यम से प्रस्तुत करनी होगी। भौतिक रूप से परिवहन दरें अमान्य की जायेगी।
37. यदि इंदौर दुग्ध संघ के द्वारा इंदौर, भोपाल, उज्जैन, सागर, जबलपुर, ग्वालियर, धार, खंडवा, रतलाम, महु एवं देवास शहरों के अतिरिक्त मध्य प्रदेश के अन्य शहरों में आइसक्रीम का वितरक नियुक्त किया जाता है तो ऐसी स्थिति में सफल निविदाकार को आइसक्रीम वितरकों की मांग के अनुसार उनके वितरण स्थल तक आइसक्रीम पहुंचाकर देना होगा। निविदा में निर्धारित कि.मी. के अतिरिक्त अनुबंधित वितरण वाहन जितने कि.मी. अतिरिक्त चलेगा उसका भुगतान मुख्य संयंत्र इंदौर से वितरक के वितरण स्थल तक की दूरी की गणना जी.पी.एस. मैप में दर्शाए कि.मी. (आना-जाना) के आधार पर किया जा सकेगा।

मेरे/हमारे द्वारा उपरोक्त समस्त आवंटन की समान्य शर्तें एवं अनुबंध की शर्तें पढ़ ओर समझ ली गई है। मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत समस्त जानकारी एवं दस्तावेज सत्य है भविष्य में यदि मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत कोई भी जानकारी या दस्तावेज असत्य पाई जाती है तो इन्दौर दुग्ध संघ द्वारा मेरा/हमारा आवंटन निरस्त कर संघ में जमा प्रतिभूति राशि राजसात कर कार्यवाही की जाती है तो मुझे/हमें मान्य होगी। मुझे/हमें उपरोक्त समस्त नियम व शर्तें मान्य है। मेरे/हमारे द्वारा दुग्ध संघ के समस्त निर्देशों का परिपालन किया जावेगा, उल्लंघन करते पाये जाने पर दुग्ध संघ को मेरा/हमारा आवंटन निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

निविदाकार का नाम एवं हस्ताक्षर

साँची आईसक्रीम परिवहनकर्ता कार्य हेतु निविदा पत्र

निविदाकार स्वयं
का स्वहस्ताक्षरित
रंगीन फोटो चस्पा
करें।

1. निविदाकार (एकल स्वामित्व / फर्म / पार्टनरशिप कम्पनी / ज्वाइंट
वेंचर / कंसोर्टियम का नाम
2. प्रोप्राइटर का नाम
3. पिता का नाम
4. स्थाई / वर्तमान पता
5. दूरभाष / मोबाईल नं.
6. FSSAI लाइसेंस नंं
7. जी.एस.टी नम्बर
8. पेन कार्ड नम्बर

मेरे/हमारे द्वारा साँची आईसक्रीम परिवहनकर्ता संबंधि इस फार्म के साथ संलग्न समस्त शर्ते पढ़ और समझ चुका/चुकी हूं और मान्य करता/करती हूं। इस हेतु मेरे/हमारे द्वारा शर्ते हस्ताक्षरित कर फार्म के साथ संलग्न की है। निविदा पत्र में मेरे/हमारे द्वारा दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है।

निविदाकार के हस्ताक्षर
नाम

वचन पत्र

मैं/हम आत्मज आयु
निवासी यह कि मेरे/हमारे द्वारा
आइसक्रीम परिवहनकर्ता कार्य हेतु निविदा प्रस्तुत की गई है। यह कि मेरे/हमारे द्वारा यह
शपथ/वचन पत्र अपने पूर्ण होशों हवास में मेरे/हमारे संज्ञान में प्रस्तुत किया जा रहा है।

1. यह कि मुझे/हमे किसी भी शासकीय/अशासकीय संस्था द्वारा कभी भी किसी भी कार्य से अद्यतन स्थिति तक ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया है।
2. यह कि मेरा/हमारा अद्यतन स्थिति तक (संबद्ध दुग्ध संघ/कंपनी का नाम अंकित करें) द्वारा किसी भी पुलिस थाने/मा.न्यायालय में किसी भी प्रकार का कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है।
3. यह कि मेरा/हमारा एमपीसीडीएफ, भोपाल/म.प्र.के किसी भी सहकारी दुग्ध संघों के अधिकारियों से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है।

1. गवाह

नाम:-.....
पता:-
आधारकार्ड नं.
मोबाइल नं.....

2. गवाह

नाम:-.....
पता:-
आधारकार्ड नं.
मोबाइल नं.....

इति दिनांक

हस्ताक्षर शपथग्राहिता

सत्यापन

मैं शपथग्रहिता शपथपूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र की पद संख्या 01,02 एवं 03 में वर्णित संपूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के अधार पर सत्य एवं सही है। इससे कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

इति दिनांक

हस्ताक्षर शपथग्राहिता

वचन पत्र

मैं/हम आत्मज आयु
निवासी यह कि मेरे/हमारे द्वारा
आइसक्रीम परिवहनकर्ता कार्य हेतु निविदा प्रस्तुत की गई है। यह कि यदि मेरी/हमारी
निविदा नियमानुसार स्वीकृत हो जाती है तो मैं/हम निविदा में चाहे गए निर्धारित मापदंड के
अनुसार नया आइसक्रीम रेफ्रिजरेटेड वाहन क्रय कर आइसक्रीम के परिवहन कार्य में
लगाउंगा।

- 1 गवाह :
नाम:-.....
पता:-
आधारकार्ड नं.
मोबाइल नं.....
- 2 गवाह :
नाम:-.....
पता:-
आधारकार्ड नं.
मोबाइल नं.....

इति दिनांक

हस्ताक्षर निविदाकार

प्रारूप (केवल अवलोकन हेतु)

वित्तीय बिड (केवल और केवल ऑनलाइन प्रस्तुत करें)

क्रं.	ऑनलाईन दरें (अंकों में) प्रति कि.मी. (समस्त व्यय /कर सहित)	ऑनलाईन दरें (शब्दों में) प्रति कि.मी. (समस्त व्यय/ कर सहित)
1		
2		
3		
4		

नोट :- प्रतिभागी निविदाकार ऑनलाईन दरें प्रस्तुत करते समय अंकों में एवं शब्दों में स्पष्ट रूप से भरें। यदि शब्दों व अंकों में किसी भी प्रकार की भिन्नता पाई जाती है, तो ऐसी स्थिति में शब्दों को सही माना जाकर निविदा सम्बन्धी आगामी कार्यवाही की जाएगी।

(केवल अवलोकन हेतु)
साँची आईसक्रीम परिवहनकर्ता कार्य अनुबंध

यह अनुबंध आज दिनांक..... को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ, मर्यादित, इन्दौर जिसे आगे प्रथम पक्ष के नाम से संबोधित किया जावेगा एवं मेसर्स द्वारा पार्टनर श्रीसे बतौर साँची आईसक्रीम परिवहनकर्ता (द्वितीय पक्ष) की हैसियत से इंदौर दुग्ध संघ द्वारा शहर के लिए जोन क्र..... दिनांक से दिनांक तक अवधि वास्ते निविदा की स्वीकृत परिवहन दर रु. प्रति कि.मी. (समस्त कर एवं व्यय सहित) अनुबंधित कर हस्ताक्षरित किया गया है। इन्हें आगे बतौर द्वितीय पक्ष के रूप में भी संबोधित किया जावेगा। इस अनुबंध के दोनों ही पक्ष परस्पर सहमत हों, स्वीकार करते हैं कि प्रथम पक्ष द्वारा प्रकाशित ई-निविदा क्र. दिनांक..... तथा पक्ष क्र.02 द्वारा निष्पादित व हस्ताक्षरित कर निविदा प्रपत्र क्र.01 (तकनीकी अर्हता) एवं प्रपत्र क्र.02 (निविदा प्रक्रिया, निविदा की नियम एवं शर्तों) में उल्लेखित समस्त तथ्य एवं शर्त आदि इस लिखित अनुबंध की अंतरवस्तु के अटूट भाग होकर दोनों ही पक्षों पर समान रूप से बंधनकारी होंगे।

1. यह अनुबंध विशुद्ध रूप से व्यावसायिक अनुबंध है तथा इसके तहत द्वितीय पक्ष को एक माह की पूर्व सूचना देकर दुग्ध संघ के हित में यह अनुबंध निरस्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष का होगा। द्वितीय पक्ष इस अनुबंध के तहत कार्य नहीं करना चाहता है तो, उसे प्रथम पक्ष को एक माह का लिखित अग्रिम नोटिस साँची आईसक्रीम के परिवहनकर्ता का कार्य छोड़ने बावत् देना होगा।
2. केवल मध्य प्रदेश राज्य के MSME उद्यमियों के लिए ईएमडी राशि में छूट रहेगी। परंतु MSME उद्यमियों को ऑन लाईन MSME के रजिस्ट्रेशन की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। बिना रजिस्ट्रेशन के निविदा अमान्य किया जाएगा।
3. द्वितीय पक्ष द्वारा दुग्ध संघ के पास सुरक्षा निधि राशि रु. 50,000/- शब्दों में (पचास हजार रुपये मात्र) नगद राशि एम.आर. नंबर दिनांक इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इंदौर में जमा की गई है। द्वितीय पक्ष की इंदौर दुग्ध संघ में जमा नगद प्रतिभूति राशि पर इंदौर सहकारी दुग्ध संघ द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।
4. द्वितीय पक्ष द्वारा इंदौर दुग्ध संघ में जमा की गई सुरक्षा निधि राशि, परिवहनकर्ता कार्य की अवधि पूर्ण होने पर द्वितीय पक्ष की लेनदारी-देनदारी पूर्ण होने के पश्चात् उसकी सुरक्षा निधि राशि वापस करने की कार्यवाही की जाएगी। सुरक्षा निधि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
5. द्वितीय पक्ष को साँची आईसक्रीम, वितरकों के वितरण स्थल पर समय पर पहुंचाकर देना अनिवार्य होगा।
6. द्वितीय पक्ष के प्रतिनिधि, डेयरी संयंत्र के प्रतिबंधित क्षेत्र यथा लेब, कोल्ड स्टोर, संसाधन, पैकेजिंग कक्ष में नहीं जावेंगे। प्रतिबंधित क्षेत्र में पाये जाने पर इंदौर दुग्ध संघ जो भी दण्ड तय करेगा वह द्वितीय को मान्य होगा।
7. वितरण वाहन पर कार्यरत स्टॉफ द्वारा मांग पत्र/प्रदाय विवरण (चालान) के कागज को फाड़कर नहीं फेंकेंगे। औचक निरीक्षण के दौरान चालान मांगे जाने पर उसे प्रबंध के समक्ष प्रस्तुत करना होगा अन्यथा ऐसा करते नहीं पाए जाने पर रु. 1000/- का अर्थदंड अधिरोपित किया जाएगा। पुनरावृत्ति होने पर ठेका निरस्त किया जा जाएगा।
8. द्वितीय पक्ष को वाहन में वाहन चालक के अतिरिक्त एक लेबर लोडिंग/अनलोडिंग हेतु आवश्यक रूप से रखना होगा। कार्य Compensation Act. अनुसार सभी कर्मचारियों का बीमा होना आवश्यक है, जिसकी छायाप्रति कार्य आवंटन उपरांत इंदौर दुग्ध संघ कार्यालय में जमा कराना आवश्यक होगा।
9. द्वितीय पक्ष को वाहन चालक एवं लेबर का नाम व पता इंदौर दुग्ध संघ को लिखित में सूचित करना होगा एवं इनका पुलिस वेरिफिकेशन कराया जाना आवश्यक होगा।
10. प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष के किसी भी वाहन चालक व आईसक्रीम वाहन में कार्यरत लेबर को इंदौर दुग्ध संघ परिसर में आने हेतु किसी भी कारण से यदि मना किया गया है तो, उस वाहन चालक व लेबर को द्वितीय पक्ष अपने वाहन में कार्य हेतु नहीं लगायेगा। इस शर्त का उल्लंघन करते पाये जाने पर द्वितीय पक्ष के विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्यवाही हेतु प्रथम पक्ष स्वतंत्र होगा।

11. द्वितीय पक्ष को उसके वाहन पर कार्यरत कर्मचारियों का पहचान पत्र बनवाना आवश्यक होगा, जो कि उनके द्वारा सत्यापित होगा, जिसे वाहन चालक एवं वाहन सहायक को डेयरी परिसर में प्रवेश के दौरान गले में लटकाना अनिवार्य होगा। पहचान पत्र का व्यय द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किया जावेगा। इसकी चैकिंग संघ की सुरक्षा शाखा द्वारा की जाएगी।
12. आईसक्रीम वितरण वाहन में कार्यरत कर्मचारी एवं एजेंटों के बीच उठे विवादों को द्वितीय पक्ष अपनी उपस्थिति में शांतिपूर्वक सुलझावेगा ताकि विवाद न बढ़ने पाये एवं आईसक्रीम वितरण कार्य में किसी प्रकार की रूकावट न आने दें।
13. द्वितीय पक्ष को उसके वाहन पर कार्यरत कर्मचारियों की इंदौर दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित यूनिफार्म बनवाना आवश्यक होगा, जिसे वाहन चालक एवं वाहन सहायक को पहनना अनिवार्य होगा। यूनिफार्म का व्यय द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किया जावेगा। इसकी चैकिंग इंदौर दुग्ध संघ की सुरक्षा शाखा द्वारा की जाएगी।
14. द्वितीय पक्ष किसी भी समय आवश्यकता पड़ने पर प्रथम पक्ष को अपना स्टॉक, रिकार्ड, गोडाउन परिवहनकर्ता कार्य से संबंधित व्यवस्थाओं की जाँच कराएगा।
15. प्रथम पक्ष किसी भी समय अनुबंध की नियम एवं शर्तों को जोड़ने, हटाने एवं स्पष्ट करने का विशेषाधिकार रखेगा जो कि द्वितीय पक्ष पर बाध्यकारी रहेगा।
16. जरूरत पड़ने पर आईसक्रीम मार्केट से रिकाल करने में द्वितीय पक्ष परिस्थितियों के अनुरूप प्रथम पक्ष के निर्देशानुसार आवश्यक कदम उठायेगा।
17. आईसक्रीम की प्रदायगी के पश्चात् किसी भी स्तर पर आईसक्रीम की प्रक्रिया, मिश्रण आदि में फेरबदल किया जाता है तो प्रथम पक्ष की कोई जवाबदारी नहीं होगी।
18. द्वितीय पक्ष शासन के समस्त निर्धारित करों आदि के भुगतान हेतु पूर्ण/रूपेण जबाबदार होगा तथा केन्द्र शासन/राज्य शासन के इस विषय पर समय-समय पर दिये गये निर्देशों के पालनार्थ पूर्ण रूपेण वाध्य होगा। ऐसा न करने की स्थिति में संबंधित समस्त कानूनी कार्यवाही द्वितीय पक्ष के विरुद्ध की जा सकेगी।
19. द्वितीय पक्ष अपना आवंटित कार्य किसी अन्य को हस्तांतरित नहीं करेगा एवं न ही उपठेकेदार नियुक्त कर सकेगा। ऐसा करते पाये जाने पर प्रथम पक्ष बिना कोई नोटिस दिये आवंटित मार्ग निरस्त कर सकेगा, तथा उसकी प्रतिभूति राशि राजसात कर सकेगा।
20. द्वितीय पक्ष की अनुबंध अवधि तीन वर्ष हेतु प्रभावशील रहेगी। उक्त अवधि पूर्ण होने पर द्वितीय पक्ष की ओर से निवेदन एवं सहमति प्राप्त होने एवं उसका कार्य संतोषप्रद पाए जाने की दशा में एक-एक वर्ष कर अधिकतम कुल 02 वर्ष हेतु अनुबंध अवधि में वृद्धि आपसी सहमति से की जा सकेगी एवं प्रथम पक्ष दुग्ध संघ के हितों में संवर्धन हेतु द्वितीय पक्ष की सहमति से मूल अनुबंध में नवीन शर्तों का भी समावेश कर सकते हैं।
21. साँची आईसक्रीम परिवहनकर्ता कार्य हेतु द्वितीय पक्ष का निर्धारित मापदंड अनुसार रेफ्रिजरेटेड वाहन स्वयं अथवा किराए से संलग्न किया जाना अनिवार्य है। किराए से लगाए जाने की स्थिति में किराएनामे की प्रति इंदौर दुग्ध संघ में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
22. द्वितीय पक्ष को वितरण कार्य आरंभ करने से पूर्व इंदौर दुग्ध संघ कार्यालय को वाहन के पंजीकरण से सम्बंधित समस्त दस्तावेज का निरीक्षण प्रबंधन को कराना आवश्यक होगा तथा इन दस्तावेजों की एक छायाप्रति संघ कार्यालय में जमा करनी होगी।
23. द्वितीय पक्ष के स्वयं के वाहन होने की स्थिति में उसके द्वारा वाहन पंजीकरण से सम्बंधित दस्तावेजों में परिवर्तन बिना प्रथम पक्ष की अनुमति के बिना नहीं किया जावेगा। यदि किसी कारणवश द्वितीय पक्ष इंदौर दुग्ध संघ में संलग्न अनुबंधित वाहन का विक्रय करता है या उसे बदलना चाहता है, तो इस हेतु प्रथम पक्ष की पूर्वानुमति लेना आवश्यक है, तथा वाहन के विक्रय/बदलने के पूर्व वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करना द्वितीय पक्ष का दायित्व होगा।
24. प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष के मार्ग पर निर्धारित किये गये आइसक्रीम वितरणों के वितरण स्थल पर द्वितीय पक्ष द्वारा नियमित रूप से आइसक्रीम प्रदाय किया जावेगा, यदि किसी कारणवश द्वितीय पक्ष किसी आइसक्रीम वितरण के वितरण स्थल पर आइसक्रीम प्रदाय बंद करने हेतु बाध्य होता है, तो उसे सम्पूर्ण प्रकरण लिखित में इंदौर दुग्ध संघ कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा तथा इंदौर दुग्ध संघ के सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त होने पर ही आइसक्रीम प्रदाय संबंधित वितरण स्थल पर बंद कर सकेगा। यदि द्वितीय पक्ष द्वारा बिना प्रथम पक्ष की अनुमति के किसी वितरण के वितरण स्थल

- पर आईसक्रीम प्रदाय बंद किया जाता है तो प्रथम पक्ष को हुई हानि के बराबर राशि द्वितीय पक्ष के परिवहन देयकों से वसूली जावेगी।
25. वाहन में डी.एम./चालान से अधिक माल प्रबंध द्वारा पकड़े जाने पर प्रथम बार माल की 20 गुना राशि वसूली जाएगी, बार-बार पुनरावृत्ति होने पर आवंटित अनुबंध निरस्त कर सुरक्षा निधी राशि राजसात कर ली जाएगी।
 26. डेयरी परिसर के अंदर द्वितीय पक्ष के अधीन कार्यरत वाहन चालक द्वारा धूम्रपान, तम्बाखू, शराब आदि का सेवन करने पर प्रथमतः अर्थदण्ड राशि रु.1000/- द्वितीय पक्ष से वसूला जावेगा। पुनः वाहन चालक द्वारा उक्त कृत्य की पुनरावृत्ति करने पर इंदौर दुग्ध संघ द्वारा डेयरी परिसर में वाहन चालक का प्रवेश निषेध कर दिया जावेगा।
 27. डेरी की परिधि के अंदर आने वाले वाहन निर्धारित (20 कि.मी.) की अधिक गति से नहीं चलाए जावे और न डेरी की परिधि में वाहन की साफ सफाई की जावे। यदि ऐसा किया गया तो रूपये 500/- द्वितीय पक्ष पर जुर्माना किया जावेगा जो कि उसके परिवहन देयक से काटा जावेगा।
 28. द्वितीय पक्ष अथवा उसके कार्यरत स्टॉफ के कारण आईसक्रीम वितरण बाधित होता है तो प्रथम पक्ष को हुए नुकसान की सम्पूर्ण भरपाई द्वितीय पक्ष से की जायेगी।
 29. द्वितीय पक्ष अथवा उसके प्रतिनिधियों द्वारा इंदौर दुग्ध संघ के कर्मचारियों/अधिकारियों /संचालकों के साथ अभद्र व्यवहार किये जाने पर प्रथम पक्ष द्वारा निर्देशित कार्यवाही द्वितीय पक्ष को करनी होगी। आदेशों का पालन न करने की दशा में किसी भी समय आवंटन निरस्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को रहेगा।
 30. यह कि द्वितीय पक्ष की निविदा अवधि में मृत्यु हो जाने पर प्रथम पक्ष द्वारा विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए द्वितीय पक्ष द्वारा घोषित किये गए उत्तराधिकारी को अनुबंध की समान शर्तों पर नियमों के तहत निविदा हस्तारित करने की कार्यवाही की जाएगी।
 31. द्वितीय पक्ष का यह दायित्व होगा कि उसके द्वारा निविदा अनुसार प्रस्तुत किए गए वांछित दस्तावेज एवं जानकारी पूर्णतः सत्य है। अनुबंध अवधि में किसी भी प्रकार से शिकायत प्राप्त होने पर जाँच की जावेगी, जाँच में शिकायत सही पाये जाने पर पंचनामे व साक्ष्यों के आधार पर द्वितीय पक्ष की निविदा निरस्त किया जाकर, द्वितीय पक्ष को ब्लैक लिस्टेड कर प्रथम पक्ष के कार्यालय में उसकी जमा प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जावेगी। जिसकी सम्पूर्ण जवाबदेही द्वितीय पक्ष की स्वयं की होगी।
 32. भविष्य निधि अधिनियम तथा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत द्वितीय पक्ष द्वारा जिन कर्मचारियों की नियुक्ति की जावेगी तथा जिन कर्मचारियों से अनुबंधित दुग्ध वाहन पर कार्य लिया जावेगा उन कर्मचारियों की भविष्य निधि अधिनियम एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के प्रावधान अनुसार नियमित अंशदान की राशि संबंधित विभाग में जमा करने की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी।
 33. यह कि अधिकृत वाहन चालक एवं अटेंडेन्ट के अतिरिक्त किसी बाहरी व्यक्ति को गाड़ी के साथ नहीं लाया जावेगा। यदि एक से अधिक व्यक्ति गाड़ी में पाये गये तो द्वितीय पक्ष से रूपये 500/- (रूपये पांच सौ रूपये मात्र) प्रति व्यक्ति की दर से वसूल करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।
 34. यह कि इंदौर सहकारी दुग्ध संघ के सुरक्षा गार्ड द्वारा जांच करने की दशा में द्वितीय पक्ष के अटेंडेन्ट आईसक्रीम की क्रेटों को उठाकर निरीक्षण को सम्पन्न करावेगा। सुरक्षा गार्ड के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं किया जावेगा व उसके पूर्ण जांच किये जाने में सहयोग देंगे। शंका की स्थिति में संतोषप्रद जांच पड़ताल होने के पश्चात् ही दुग्ध वितरण वाहन डेरी से अंदर व बाहर जाने दिया जावेगा।
 35. यह कि द्वितीय पक्ष हर पखवाड़े में एक दिन कार्यालय में आकर उनके देयक से काटी जाने वाली राशि के संबंध में समाधान कर ले अन्यथा नियमानुसार राशि देयक से काट ली जायेगी जो द्वितीय पक्ष को मान्य करनी होगी। पंचनामा कटौती योग्य राशि या अन्य कोई भी वसूली द्वितीय पक्ष के देयक से करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।
 36. यह कि द्वितीय पक्ष को परिवहन देयक प्रतिमाह के 05 तारीख तक भुगतान हेतु प्रस्तुत करना होगा। विलंब से भुगतान हेतु देयक प्रस्तुत किए जाने की स्थिति में जबावदेही द्वितीय पक्ष की होगी।
 37. आईसक्रीम वितरण हेतु समय-समय पर आईसक्रीम के निर्माण एवं मांग का निर्धारण प्रथम पक्ष द्वारा किया जाएगा। जिसे द्वितीय पक्ष को निर्धारित अवधि में आईसक्रीम वितरणकों को आपूर्ति कर देना होगा। ऐसा नहीं करते पाए जाने अथवा विलंब से आपूर्ति करने पर निम्नानुसार क्षतिपूर्ति देय होगी।

क्रमांक	विलंब की अवधि	क्षतिपूर्ति राशि
1.	15 दिवस तक	लागत का 1 प्रतिशत
2.	16 से 30 दिवस के मध्य	लागत का 2 प्रतिशत
3.	30 दिवस के पश्चात्	लागत का 5 प्रतिशत

- द्वितीय पक्ष द्वारा उक्त अवधि के पश्चात् भी आइसक्रीम वितरकों को आपूर्ति नही की जाने की दशा में निविदा निरस्त करने का अधिकार इंदौर दुग्ध संघ को होगा।
38. द्वितीय पक्ष इंदौर दुग्ध संघ के अतिरिक्त किसी भी अन्य उत्पादक का आइसक्रीम वितरण/विक्रय करने से पूर्णतः निषेधित रहेगा। यदि ऐसा करते पाया जाता है तो उसे तत्काल बिना नोटिस दिए अनुबंध निरस्त किया जावेगा।
 39. निविदा की प्रपत्र क्र. 01 तकनिकी अर्हता एवं प्रपत्र क्र. 02 निविदा प्रक्रिया, नियम एवं शर्तें अनुबंध का भाग होंगें।
 40. यदि पक्षकारों के मध्य इस कार्य में कोई विवाद उत्पन्न हुआ तो, प्रबंध संचालक, एमपीसीडीएफ को प्रकरण निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जा सकेगा। निराकरण न होने की स्थिति में आरबीट्रेशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
 41. अनुबंध अवधि में इन्दौर दुग्ध संघ द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों की निरंतर अवहेलना की जाने पर द्वितीय पक्ष के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने हेतु प्रथम पक्ष स्वतंत्र होगा जो कि द्वितीय पक्ष पर बंधनकारी होगा।
 42. इस अनुबंध का न्यायायिक कार्यक्षेत्र इन्दौर शहर का न्यायालय में रहेगा।
 43. प्रथम पक्ष द्वारा समय-समय पर जो भी निर्देश वितरकों को पत्रों/परिपत्रों के माध्यम से दिये जावेंगे, वे पत्र/परिपत्र अनुबंध का भाग माने जाएंगे।
 44. यह अनुबंध उपरोक्त शर्तों के अधीन दुग्ध संघ एवं वितरक सह-परिवहनकर्ता की आपसी रजामंदी के तहत दिनांक..... को निष्पादित किया गया है।
 45. उपरोक्त शर्तों के पालन में तथा इंदौर दुग्ध संघ द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों/आदेशों एवं सूचनाओं का द्वितीय पक्षकार द्वारा पालन न करने की दशा में किसी भी समय आवंटन निरस्त करने का अधिकार प्रथम पक्षकार को रहेगा।

मैं पिता/पति/पत्नी.....साँची आइसक्रीम परिवहनकर्ता जौन अपना उत्तराधिकारी (नामिनी) श्री/श्रीमती..... को घोषित करता/ करती हूँ।

हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष.....
नाम.....
पता.....

प्रथम पक्ष
इंदौर सह.दुग्ध संघ मर्या.

1.गवाह के हस्ताक्षर
नाम एवं पता:—.....

2.गवाह के हस्ताक्षर
नाम एवं पता:—.....

Minimum 5000 KM
Template for P.M Running K.M
MARCH-JUNE

S.NO.	Main Dairy plant Indore	Town	Vehicle Crates Capacity	Proposed K.M. (UP/DN)	TRIP/Frequency	TOTAL K.M.
1	INDORE LOCAL	INDORE CITY	80	40	24	960
2	MDP INDORE	Ujjain	80	130	4	520
3	MDP INDORE	Bhopal	80	440	2	880
4	MDP INDORE	DHAR	80	140	4	560
5	MDP INDORE	DEWAS	80	60	4	240
6	MDP INDORE	KHANDWA	80	270	3	810
7	MDP INDORE	MHOW	80	60	4	240
8	MDP INDORE	RATLAM	80	370	2	740
9	MDP INDORE	SAUGAR	80	400	1	400
10	MDP INDORE	GWALIOR	80	1000	1	1000
11	MDP INDORE	JABALPUR	80	1020	1	1020
				3930	50	7370

Minimum 3500
K.M.
Template for P.M
Running K.M
JULY- FEB

S.NO.	Main Dairy plant Indore	Town	Vehicles Crates Capacity	Proposed K.M. (UP/DN)	TRIP/Frequency	TOTAL K.M.
1	INDORE LOCAL	INDORE CITY	80	40	15	600
2	MDP INDORE	Ujjain	80	130	2	260
3	MDP INDORE	Bhopal	80	440	2	880
4	MDP INDORE	DHAR	80	140	2	280
5	MDP INDORE	DEWAS	80	60	2	120
6	MDP INDORE	KHANDWA	80	270	2	540
7	MDP INDORE	MHOW	80	60	3	180
8	MDP INDORE	RATLAM	80	370	1	370
9	MDP INDORE	SAUGAR	80	400	1	400
10	MDP INDORE	GWALIOR	80	1000	0	0
11	MDP INDORE	JABALPUR	80	1020	0	0
				3930	30	3630

1. प्रस्तावित वाहन – वाहन मॉडल वर्ष 2024 के हो एवं उसी वर्ष के पंजीकृत हो अथवा 2024 के बाद के वर्षा के हो एवं पंजीकृत हो।
2. प्रस्तावित वाहन क्षमता – 80 क्रेट